

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 18, बुधवार, शाके 1947- जुलाई 09, 2025 Asadha 18, Wednesday, Saka 1947- July 09, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

(Form M)

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अपेल 07, 2025

संख्या प. 2 (5) वन/2025 :-चूंकि संलग्न अनुसूची में वर्णित वन भूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पत्तियां हैं या उनमें सरकार के स्वामित्व अधिकार हैं या उनकी सम्पूर्ण या आंशिक वन उपज पर सरकार का अधिकार है,

और चूंकि ऊपर कथित वन भूमि या बंजर भूमि को सरकार, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि, पूर्वोक्त भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप अभी तक किसी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं,

और चूंकि, सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या पर सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना एवं उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचाने की आशंका रहेगी।

अब इसलिए, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) की धारा 29 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्ति करती है और ऐसी जांच, साक्ष्य एवं अभिलेख उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 13, 14, 17, 18 और 19 में प्रवहित है।

और, इस अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार ऊपर कथित जांच एवं अभिलेख के विचारार्थ रहते, कथित वनभूमि एवं बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति के द्वारा संरक्षित (Protected Forest) वन के रूप में घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और न ही उन पर कोई विपरित प्रभाव पड़ेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन (Protected Forest) के वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से आरक्षित (Reserved) हो जावेंगे और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में पत्थर खोदना या चूना या लकड़ी का कोयला जलाया जाना अथवा किसी भी प्रकार की वन

उपज का संग्रहण किया जाना या निष्कासन करना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि की खुदाई या कृषि हेतु या भवन निर्माण हेतु या मवेशी चराने या अन्य प्रयोजनार्थ वन की सफाई करना या वन भूमि को खण्डित किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्न:- अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ट शासन सचिव (वन)।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)

क्र. स.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	दिशा	दिशावार सीमा विवरण	राजस्व ग्राम	विवरण		
							खसरा नंबर	क्षेत्रफल (है०)	भूमि किस्म
1	नर्सरी सांचौर	सांचौर	सांचौर	उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व	खसरा न 814, 4248/816 उक्त खसरा वर्तमान सहायक अभियन्ता (132 KV GSS) राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड (RRVPL) सांचौर के नाम दर्ज है। खसरा न. 1440 उक्त खसरा वर्तमान में नगर पालिका सांचौर आबादी के नाम दर्ज है।	सांचौर	3329/331	0.32 है०	गेर मुमकिन

					खसरा नं. 816/3329 जो नगर पालिका सांचोर आबादी के नाम दर्ज है। खसरा नं. 858 जो नौ वहन सड़क परिवहन उच्च मार्ग भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज है				
					योग		योग -1	0.32 है0	

धर्मवीर मील,
क्षेत्रीय वनअधिकारी
रानीवाड़ा

देवेन्द्र सिंह भाटी,
उप वन संरक्ष
जालोर (राज.)

द्वितीय अनुसूची
पेड़/पौधों की सूची

प्रस्तावित वनखण्ड में आने वाली वनस्पतियों के वानस्पतिक नामों की सूची

क्र.सं.	बोटैनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	<i>Azadirachta indica</i>	नीम
2	<i>Pithecellobium dulce</i>	जंगल जलेबी
3	<i>Syzygium cumini</i>	जामुन

धर्मवीर मील,
क्षेत्रीय वनअधिकारी
रानीवाड़ा

देवेन्द्र सिंह भाटी,
उप वन संरक्ष
जालोर (राज.)

प्रमाण- पत्र

वनखण्ड – नर्सरी सांचौर

रेंज- रानीवारा

वनमण्डल- जालोर (राज.)

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि गेर मुमकिन के रूप में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि का मौजा सांचौर के खसरा नम्बर **3329/3331 रकबा 0.32 हें0** का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में गेर मुमकिन के रूप में वन विभाग के नाम दर्ज है।
2. विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि क्षेत्र विभाग के अधीन है। प्रस्तावित भूमि में कोई अतिक्रमण, खनन कार्य नहीं हुए है।
3. खसरा नम्बर **3329/3331** की वन भूमि वन विभाग के नाम पूर्व में ही है।
4. प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.1 से 0.2 तक का है एवं इन क्षेत्रों में नीम, जगल जलेबी, जामुन आदि प्रजाति के पेड़ हैं।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र की तथा चारो ओर की सीमाओं का वितस्तृत के कॉलम स.05 में कर दिया गया है
6. प्रस्तावित भूमि का मानचित्र संलग्न है एवं विज्ञप्ती में दर्शाई गई दिशाओ,सीमाओ एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्सो मे लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7. उल्लेखित वन क्षेत्र को कानूनी स्वरूप देने के हेतु प्रचलित नियमो के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितांत आवश्यक है जिससे की वन भूमि पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके ।
8. इस वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

धर्मवीर मील,
क्षेत्रीय वनअधिकारी
रानीवाड़ा

देवेन्द्र सिंह भाटी,
उप वन संरक्ष
जालोर (राज.)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।